

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.स)(03)डीएलबी / 2020 / 14817

दिनांक: 18-7-2023

आदेश

नगर निगम अजमेर में पूर्व में नियुक्त श्री बी.के. शर्मा अधिवक्ता को प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स)(03)डीएलबी / 2020 / 14818-14825

दिनांक: 18-7-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
4. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग अजमेर।
5. आयुक्त, नगर निगम अजमेर।
6. श्री बी.के. शर्मा अधिवक्ता मार्फत नगर निगम अजमेर।
7. प्रागामर/IT सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुसंक्षेप पत्रावली

  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी